रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2005/पौष 29, 1926
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2005/PAUSA 29, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2005

सं. 19/2004—2009

का.आ. 67(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. पैरा 1ख.1(4)(क) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :—

"8 कैरेट और उससे अधिक के सोने का आयात प्रतिपूर्ति स्कीम के तह अनुमत होगा बशर्ते कि आयात के साथ शुद्धता, भार और मिश्रण अंश को विनिर्दिष्ट करने वाला ऐस्से प्रमाण पत्र संलग्न हो।"

2. पैरा 4.1.11 और 4.1.12 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :—

अग्रिम रिलीज आदेश	4.1.11	अग्रिम लाइसेंसधारक, वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंसधारक, हीरा अग्रदाय लाइसेंस और डी एफ आर सी धारक जो सीधे आयात के बदले स्वदेशी स्रोतों/राज्य व्यापार उद्यमों/ई ओ यू/एस ई जैड/ई एच टीपी/एस.टी.पी./बीटी पी यूनिटों से निविष्टियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रिलीज आदेशों के प्रति विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपए में प्राप्त करने का विकल्प होगा। डी एफ आर सी का हस्तांतरणकर्ता भी एआरओ सुविधा के लिए पात्र होगा। तथापि, ईओयू/ईएचटीपी/बीटी/पी/एसटीपी/एस ई जैड से ए.आर.ओ को परिवर्तन किए बिना लाइसेंस के प्रति आपूर्तियां प्राप्त की जा सकती हैं।
बैक टू बैक अन्तर्देशीय साख पत्र	4.1.12	अग्रिम लाइसेंसधारक वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंसधारक, हीरा अग्रदाय लाइसेंसधारक और डी एफ आर सी धारक, अग्रिम रिलीज आदेश के लिए आवेदन करने के बजाए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बैक टू बैक अन्तर्देशीय साख पत्र का लाभ उठा सकता है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/010/एएम 05/पी सी-4]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2005

No. 19/2004—2009

S.O. 67(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy, 2004—2009 :—

1 Para 1B.1(iv)(a) is amended as follows .—

"Import of Gold of 8k and above shall be allowed under the replenishment scheme subject to the import being accompanied by an Assay Certificate specifying the purity, weight and allow content."

2. Paragraph 4.1.11 and 4.1.12 are amended as follows :—

Advance Release Order	4.1.11	An Advance Licence holder, holder of advance licence for annual requirement, holder of Diamond Imprest Licence and holder of DFRC intending to source the inputs from indigenous sources/State Trading Enterprises/EOU/SEZ/EHTP/STP/ BTP units in lieu of direct import has the option to source them against Advance Release Orders denominated in foreign exchange/Indian rupees. The transferee of a DFRC shall also be eligible for ARO facility. However, supplies may be obtained against the licence from EOU/EHTP/BTP/STP/SEZ units, without conversion into ARO.
Back-to-Back Inland Letter of Credit	4.1 12	An Advance Licence holder, holder of advance licence for annual requirement, holder of Diamond Imprest Licence and holder of DFRC may, instead of applying for an Advance Release Order, avail of the facility of Back-to-Back Inland Letter of Credit in accordance with the procedure specified in Handbook (Vol. 1).

This issues in Public interest.

[F. No. 01/94/180/010/AM 05/PC.-IV]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.